

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर
बी.ए. द्वितीय वर्ष (सेमेस्टर-IV) परीक्षा, जून-2025 (नियमित)
विषय: पंचायत समिति का कार्य
पर्णाक: 70
समय: 3 घण्टे

सामान्य निर्देश:

- इस प्रश्न-पत्र के दो भाग हैं: भाग-अ और भाग-ब।
- भाग-अ के सभी दस प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए।
- भाग-ब में कुल दस प्रश्न हैं। किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उत्तर सीमा 400 शब्दों में।
- प्रत्येक इकाई से कम-से-कम एक प्रश्न का चयन करना अनिवार्य है।

भाग-अ (लघु उत्तरीय प्रश्न)
 $2 \text{ अंक} \times 10 \text{ प्रश्न} = 20 \text{ अंक}$

प्रश्न 1: पंचायत समिति का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर है। यह विकास खंड स्तर पर कार्य करती है और ग्राम पंचायतों तथा जिला परिषद के बीच की कड़ी है।

प्रश्न 2: पंचायत समिति के गठन की प्रक्रिया संक्षेप में बताइए।

उत्तर: पंचायत समिति का गठन प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों, ग्राम पंचायतों के सरपंचों, तथा संसद एवं विधानसभा के सदस्यों से होता है। इसमें अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिलाओं के लिए आरक्षण होता है।

प्रश्न 3: पंचायत समिति के दो प्रशासनिक कार्य लिखिए।

उत्तर: पंचायत समिति के दो प्रशासनिक कार्य हैं: ग्राम पंचायतों के कार्यों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करना और अपने कर्मचारियों की नियुक्ति एवं नियन्त्रण करना।

प्रश्न 4: पंचायत समिति के दो विकासात्मक कार्य बताइए।

उत्तर: पंचायत समिति के दो विकासात्मक कार्य हैं: कृषि विकास हेतु उन्नत बीजों एवं खादों का वितरण करना और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का प्रबंधन करना।

प्रश्न 5: पंचायत समिति की आय के कोई दो स्रोत लिखिए।

उत्तर: पंचायत समिति की आय के दो स्रोत हैं: राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान और स्थानीय करों एवं शुल्कों से प्राप्त आय।

प्रश्न 6: पंचायत समिति की वित्त समिति का एक कार्य बताइए।

उत्तर: वित्त समिति पंचायत समिति के बजट तैयार करने में सहायता करती है तथा आय-व्यय की समीक्षा करती है।

प्रश्न 7: पंचायत समिति के अध्यक्ष के दो कर्तव्य लिखिए।

उत्तर: पंचायत समिति के अध्यक्ष के दो कर्तव्य हैं: पंचायत समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना और समिति के कार्यों के क्रियान्वयन की देखरेख करना।

प्रश्न 8: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का पंचायत समिति के लिए क्या महत्व है?

उत्तर: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायत समिति को संवैधानिक दर्जा दिया, नियमित चुनाव सुनिश्चित किए, तथा महिलाओं एवं अनुसूचित वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान किया।

प्रश्न 9: पंचायत समिति और जिला परिषद में एक अंतर बताइए।

उत्तर: पंचायत समिति मध्यवर्ती स्तर की इकाई है जबकि जिला परिषद सर्वोच्च स्तर की इकाई है। पंचायत समिति का कार्यक्षेत्र ब्लॉक स्तर तक सीमित है।

प्रश्न 10: पंचायत समिति के कार्यों के क्रियान्वयन में आने वाली एक प्रमुख बाधा बताइए।

उत्तर: पंचायत समिति की सबसे बड़ी बाधा वित्तीय संसाधनों की कमी है, जिसके कारण यह राज्य सरकार के अनुदान पर निर्भर रहती है।

भाग-ब (दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)
10 अंक x 5 प्रश्न = 50 अंक

प्रश्न 1: पंचायत समिति के गठन, संरचना एवं संगठन का विस्तृत वर्णन कीजिए।

उत्तर: पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर है। इसका गठन विकास खंड स्तर पर किया जाता है। इसकी संरचना में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं: प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य, खंड क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के सरपंच, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एवं विधान परिषद के सदस्य जो उस क्षेत्र के मतदाता हैं, अनुसचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित सदस्य, महिलाओं के लिए आरक्षित सदस्य। पंचायत समिति के संगठन में एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होता है जिनका चुनाव समिति के सदस्यों द्वारा किया जाता है। समिति की कार्यकारी शक्तियाँ मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास होती हैं जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। समिति विभिन्न स्थानीय समितियों का गठन कर सकती है जो विशिष्ट कार्यों का निष्पादन करती हैं।

प्रश्न 2: पंचायत समिति के प्रशासनिक कार्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए।

उत्तर: पंचायत समिति के प्रशासनिक कार्य निम्नलिखित हैं: अधीनस्थ निकायों का पर्यवेक्षण: समिति ग्राम पंचायतों के कार्यों का निरीक्षण, नियंत्रण एवं मार्गदर्शन करती है। कर्मचारियों का प्रबंधन: समिति अपने कार्यकारी अधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों की नियक्ति कर सकती है और उन पर प्रशासनिक नियंत्रण रखती है। रिकॉर्ड रखना: समिति ग्राम पंचायतों के बजट, लेखा-जोखा और कार्यवाही के रिकॉर्ड को बनाए रखती है। नियम बनाना: समिति अपने कार्यों के संचालन के लिए आवश्यक नियम और उपनियम बना सकती है। रिपोर्ट प्रस्तुत करना: समिति जिला परिषद को अपने कार्यों की नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। वित्तीय प्रबंधन: समिति अपने बजट का निर्माण करती है और वित्तीय अनशासन बनाए रखती है। स्थानीय करों का संग्रह: समिति विभिन्न स्थानीय करों और शुल्कों का संग्रह करती है। आपातकालीन प्रबंधन: समिति आपदा प्रबंधन और अन्य आपात स्थितियों में प्रशासनिक भूमिका निभाती है।

प्रश्न 3: पंचायत समिति के विकासात्मक कार्यों का विस्तृत विवेचन कीजिए।

उत्तर: पंचायत समिति के विकासात्मक कार्य निम्नलिखित हैं: कृषि विकास: समिति कृषि के विकास के लिए उन्नत बीजों, खाद्यों और कृषि उपकरणों का वितरण करती है। सिंचाई सुविधाओं का विकास: समिति छोटी सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण और रखरखाव करती है। शिक्षा का विकास: समिति प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए कार्य करती है। स्वास्थ्य सेवाएं: समिति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप-केंद्रों का प्रबंधन करती है। सार्वजनिक निर्माण कार्य: समिति सड़कों, पुलों, भवनों आदि का निर्माण और रखरखाव करती है। ग्रामीण उदयोग: समिति लघु और कुटीर उदयोगों को बढ़ावा देती है। पेयजल आपूर्ति: समिति स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करती है। ग्रामीण विद्युतीकरण: समिति ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण के कार्यों को बढ़ावा देती है। पर्यावरण संरक्षण: समिति वनीकरण और पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम चलाती है। ग्रामीण आवास: समिति ग्रामीण आवास योजनाओं का क्रियान्वयन करती है।

प्रश्न 4: पंचायत समिति की आय के स्रोतों एवं व्यय के क्षेत्रों का विस्तार से वर्णन कीजिए।

उत्तर: पंचायत समिति की आय के स्रोत निम्नलिखित हैं: राज्य सरकार द्वारा अनुदान, स्थानीय करों से प्राप्त आय, फीस और शुल्क, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कोष, ऋण, विभिन्न योजनाओं के लिए विशेष अनुदान, जर्माना और जब्ती से प्राप्त आय, संपत्ति किराया और लाभ, दान और उपहार। पंचायत समिति के व्यय के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं: प्रशासनिक व्यय, कर्मचारियों के वेतन और भत्ते, कृषि विकास पर व्यय, शिक्षा पर व्यय, स्वास्थ्य पर व्यय, सार्वजनिक निर्माण कार्य, सामाजिक कल्याण योजनाएं, ऋण चुकौती, आपातकालीन व्यय, रखरखाव और मरम्मत कार्य।

प्रश्न 5: पंचायत समिति की वित्तीय समस्याओं एवं उनके समाधान पर प्रकाश डालिए।

उत्तर: पंचायत समिति की वित्तीय समस्याएं निम्नलिखित हैं: वित्तीय संसाधनों की कमी, अनदान में अनियमितता, वित्तीय स्वायत्ता का अभाव, कर संग्रहण में कम दक्षता, रख-रखाव की लागत, अधिक खर्चों की परियोजनाएं, वित्तीय प्रबंधन में कमी, भ्रष्टाचार और रिसाव। इन समस्याओं के समाधान के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए जा सकते हैं: स्वयं के राजस्व स्रोतों में वृद्धि, नियमित और समय पर अनुदान, वित्तीय स्वायत्ता में वृद्धि, कर संग्रहण प्रणाली में सुधार, लागत प्रभावी योजनाएं, वित्तीय प्रबंधन में सुधार, पारदर्शिता और जवाबदेही, क्षमता निर्माण, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन।

प्रश्न 6: पंचायत समिति और जिला परिषद के पारस्परिक संबंधों की विवेचना कीजिए।

उत्तर: पंचायत समिति और जिला परिषद के बीच का संबंध ऊर्ध्वाधर और अंतर्संबद्ध है। जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का सर्वोच्च स्तर है जबकि पंचायत समिति मध्यवर्ती स्तर है। जिला परिषद को पंचायत समितियों के कार्यों का निरीक्षण, नियंत्रण और पर्यवेक्षण करने का अधिकार है। जिला परिषद को पंचायत समितियों के बजट को स्वीकृति प्रदान करती है। जिला परिषद पंचायत समितियों को तकनीकी सहायता और प्रशासनिक मार्गदर्शन प्रदान करती है। जिला परिषद विभिन्न पंचायत समितियों के बीच समन्वय स्थापित करती है। पंचायत समिति, जिला परिषद को अपने कार्यों और वित्तीय लेन-देन की रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। जिला परिषद पंचायत समिति के कछु निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का कार्य भी कर सकती है। संक्षेप में, जिला परिषद एक समन्वयक और नियामक की भमिका निभाती है, जबकि पंचायत समिति विकास योजनाओं को जमीन पर उतारने की मुख्य कार्यान्वयन इकाई है।

प्रश्न 7: पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के बीच संबंधों को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के बीच का संबंध उच्चस्तरीय निकाय और अधीनस्थ निकाय का है। ग्राम पंचायतों के सरपंच, पंचायत समिति के पदेन सदस्य होते हैं। पंचायत समिति का यह कर्तव्य है कि वह अपने अधीनस्थ ग्राम पंचायतों के कार्यों का निरीक्षण, नियंत्रण और पर्यवेक्षण करे। ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार किया गया बजट पंचायत समिति द्वारा स्वीकृत किया जाता है। पंचायत समिति ग्राम पंचायतों को तकनीकी एवं प्रशासनिक सहायता प्रदान करती है। कुछ मामलों में, ग्राम पंचायतों के निर्णयों के विरुद्ध पंचायत समिति के पास अपील सुनने का अधिकार होता है। पंचायत समिति विभिन्न ग्राम पंचायतों के बीच समन्वय स्थापित करती है। ग्राम पंचायतों अपने कार्यों की प्रगति और वित्तीय लेखा-जोखा पंचायत समिति के समक्ष प्रस्तुत करती हैं। संक्षेप में, ग्राम पंचायत कार्यान्वयन की मल इकाई है, जबकि पंचायत समिति उनके कार्यों की योजनाबद्धता, समन्वय और पर्यवेक्षण करने वाली मध्यवर्ती इकाई है।

प्रश्न 8: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायत समिति को किस प्रकार सशक्त बनाया है?

उत्तर: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायत समिति सहित सभी पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भमिका निभाई: संवैधानिक दर्जा: इस अधिनियम ने पंचायत समिति को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, जिससे इसका अस्तित्व स्थायी हुआ। नियमित चुनाव: अधिनियम में प्रावधान किया गया कि पंचायत समिति के चुनाव हर पाँच वर्ष में नियमित रूप से होंगे। अरक्षण: अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए सदस्यता में आरक्षण तथा कम से कम एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। कार्यों का विवेक: 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल किए गए, जिन्हें पंचायत समिति को हस्तांतरित किया जा सकता है। वित्त आयोग: राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, जो पंचायत समिति के वित्तीय सहायीकरण के लिए सिफारिशें करता है। तीन-स्तरीय व्यवस्था: अधिनियम ने हर राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के गठन का प्रावधान किया। निर्वाचन आयोग: पंचायतों के चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग को दी गई।

प्रश्न 9: पंचायत समिति की स्थायी समितियों के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: पंचायत समिति विभिन्न स्थायी समितियों का गठन करती है जो विशिष्ट कार्यक्षेत्रों में विशेषज्ञता प्रदान करती हैं: वित्त एवं कराधान समिति: इसके सदस्य पंचायत समिति के सदस्यों में से चुने जाते हैं। इसके कार्य हैं: बजट तैयार करने में सहायता करना, आय-व्यय की समीक्षा करना, करों की दरों पर सेलाह देना और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना। शिक्षा एवं स्वास्थ्य समिति: इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में रुचि रखने वाले

सदस्य शामिल होते हैं। इसके कार्य हैं: स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति की निगरानी करना, शिक्षकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की कमी की ओर ध्यान दिलाना, और इन क्षेत्रों में नई योजनाओं का प्रस्ताव रखना। कृषि एवं सिंचाई समिति: कृषि पृष्ठभूमि वाले सदस्य इस समिति का हिस्सा होते हैं। इसके कार्य हैं: कृषि विस्तार सेवाओं, उन्नत बीजों के वितरण, सिंचाई परियोजनाओं के रख-रखाव और किसानों की समस्याओं के समाधान पर विचार करना। सार्वजनिक निर्माण समिति: इजीनियरिंग या निर्माण कार्यों में अनभव रखने वाले सदस्य। इसके कार्य हैं: सड़कों, पुलों, सार्वजनिक भवनों आदि के निर्माण एवं मरम्मत की योजनाओं की जांच करना और उन पर निगरानी रखना। सामाजिक न्याय समिति: अनसुचित जाति/जनजाति और महिला सदस्यों सहित अन्य सदस्य। इसके कार्य हैं: अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के कल्याणकारी कार्यक्रमों की निगरानी करना और उनके अधिकारों के हनन की शिकायतों पर कार्रवाई सुनिश्चित करना।

प्रश्न 10: ग्रामीण विकास में पंचायत समिति की भूमिका का आलोचनात्मक मल्यांकन कीजिए।

उत्तर: ग्रामीण विकास में पंचायत समिति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी सफलता और सीमाएं दोनों हैं। सकारात्मक भूमिका: योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन: समिति खंड स्तर पर विकास योजनाएँ बनाती हैं और उन्हें क्रियान्वित करती है। कृषि विकास: उन्नत बीजों, खादों का वितरण, कृषि प्रदर्शनियों का आयोजन और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार। सामाजिक कल्याण: शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सफाई आदि सेवाओं का प्रबंधन। आधारभूत संरचना: सड़कों, पलों, भवनों आदि का निर्माण एवं रख-रखाव। सामाजिक न्याय: अनसुचित जाति/जनजाति, महिलाओं और पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु कार्यक्रमों का संचालन। सीमाएं: वित्तीय संसाधनों की कमी, प्रशासनिक अक्षमता, राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार और अकशलता, अधिकारों और कर्तव्यों में अस्पष्टता। निष्कर्ष: निस्संदेह, पंचायत समिति ग्रामीण विकास की धूरी बनी हुई है, लेकिन इसकी प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए वित्तीय स्वायतता, क्षमता निर्माण और राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्ति आवश्यक है।